FAQ Index

Sl.No.	Chapter	Page No.
1.	प्रस्तावित वैट अधिनियम में रिफण्ड	2-3
2.	टैक्स पीरियड, टैक्स रिटर्न, कर निर्धारण	4-8
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट	9-12
4.	टी0डी0एस0	13-15
5.	लेखा पुस्तकों व अभिलेखों का रख रखाव	16-21
6.	पंजीयन एवं जमानत	22-27

प्रस्तावित वैट अधिनियम में रिफण्ड

प्र0 1- रिफण्ड के लिए किस धारा व नियम में प्राविधान किया गया है ?

उ0- प्रस्तावित वैट अधिनियम की धारा-40, 41 व 43 तथा प्रस्तावित वैट नियमावली के नियम-49 व 50 में रिफण्ड तथा विलम्ब से ब्याज देने के बारे में प्राविधान किये गये है ।

प्र0 2- रिफण्ड आदेश होने के कितने दिनों में रिफण्ड व्यापारी को प्राप्त होगा ?

उ0- रिफण्ड आदेश होने के 30 दिन के अन्दर रिफण्ड व्यापारी को प्राप्त होगा । लेकिन यदि फर्म बन्द हो गयी है तो आदेश होने की 90 दिन की अवधि के भीतर रिफण्ड दिया जाएगा ।

प्र0 3- रिफण्ड लेने के लिए क्या कोई प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता है ?

उ0- नहीं ।

प्र0 4- क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित रिफण्ड को अगले वर्ष के टैक्स के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है ?

उ0- हां, समायोजित किया जा सकता है ।

प्र0 5- क्या रिफण्ड आदेश व रिफण्ड की धनराशि व्यापार कर कार्यालय में जाकर लेनी पड़ेगी ?

उ0- नहीं, रिफण्ड की धनराशि सीधे व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाएगी ।

प्र0 6- यदि रिफण्ड विलंब से मिलता है तो क्या ब्याज भी दिया जाएगा ?

उ0- हां ।

प्र0 7- ब्याज कितने प्रतिशत की दर से दिया जाएगा ?

उ0- 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ।

प्र0 8- रिफण्ड लेने के लिए व्यापारी को क्या बैंक का खाता संख्या देना पड़ेगा ?

उ0- हां, जिन बैंकों में व्यापार कर जमा किया जाता है उन बैंकों की उस जिले में किसी शाखा, जिसमें व्यापारी का खाता है उस शाखा का नाम व खाता संख्या करनिर्धारण अधिकारियों को 10 दिन में सूचित करना होगा ।

प्र0 9- यदि पंजीयन के समय बैंक का नाम, बैंक की शाखा व खाता संख्या दिया गया है तो क्या रिफण्ड हेतु दोबारा खाता संख्या देना होगा ?

उ0- नहीं, यदि पंजीयन के समय खाता संख्या व शाखा का नाम दिया गया है तो दोबारा नहीं देना होगा ।

प्र0 10- निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा परन्तु इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफण्ड होगा कि नहीं ?

उ0- निर्यातकों के लिए प्रत्येक टैक्स पीरियड के लिए प्रार्थना पत्र पर अस्थायी रिफण्ड दिया जाएगा ।

प्र0 11- रिफण्ड ड्यू (due) कब माना जाएगा ?

उ0-
- जिस दिन रिफण्ड देने का आदेश करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा उसी दिन से रिफण्ड ड्यू माना जाएगा ।
- यदि किसी अन्य अधिकारी या न्यायालय द्वारा रिफण्ड आदेश पारित किया जा रहा है तो उस आदेश के करनिर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होने के दिनांक को रिफण्ड ड्यू होगा ।
- यदि रिफण्ड की धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक होने के कारण है तो वर्ष के अंतिम टैक्स रिर्टन दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि या टैक्स रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तिथि दोनों में से जो बाद में होगा उस तिथि को रिफण्ड ड्यू माना जाएगा ।

प्र0 12- रिफण्ड की प्रक्रिया क्या होगी ?

उ0- ▪ रिफण्ड ड्यू (due) होने की तिथि से 21 दिन के भीतर करनिर्धारण अधिकारी **रिफण्ड पेमेन्ट आर्डर** बनाएगा और यह ऑर्डर उसी अवधि में जिले के आहरण वितरण अधिकारी [डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन)] को प्राप्त करा देंगे।

▪ आहरण वितरण अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति के 5 दिन के भीतर बिल बनाकर रिफण्ड पेमेन्ट आर्डर की कॉपी के साथ ट्रेजरी ऑफिसर को प्राप्त करायेंगे।

▪ ट्रेजरी ऑफिसर बिल / आर्डर प्राप्त होने के 4 दिन के भीतर एकाउण्ट पेई चेक उस बैंक के नाम बनाएगा जिस बैंक में व्यापारी का खाता है, और संबंधित बैंक की सर्विस ब्रांच को प्रेषित करेगा। सर्विस ब्रांच की जिम्मेदारी होगी कि वह एकाउण्ट पेई चेक को कैश कराकर व्यापारी के खाते में रिफण्ड की धनराशि ट्रान्सफर / जमा करें।

प्र0 13- रिफण्ड किस तिथि को दिया हुआ माना जाएगा ?

उ0- जिस तारीख को ट्रेजरी ऑफिसर चेक बनाकर सर्विस ब्रांच को प्रेषित करेगा उसी तिथि को रिफण्ड दिया हुआ माना जाएगा।

प्र0 14- विलंब से देय रिफण्ड पर ब्याज की गणना कब से की जाएगी ?

उ0- विलंब से देय रिफण्ड पर ब्याज की गणना रिफण्ड ड्यू होने की तिथि से की जाएगी।

प्र0 15- ब्याज देने की क्या प्रक्रिया होगी ?

उ0- जो प्रक्रिया रिफण्ड देने की है वही प्रक्रिया ब्याज देने की होगी अर्थात जिस तारीख से रिफण्ड ड्यू है उसे देने की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की गणना करके करनिर्धारण अधिकारी आर्डर आहरण वितरण अधिकारी को आदेश भेजेगा। आहरण वितरण अधिकारी बिल बनाकर उसे ट्रेजरी भेजेगा और ट्रेजरी एकाउण्ट पेई चेक के द्वारा व्यापारी के खाते में धनराशि ट्रान्सफर करायेंगे।

प्र0 16- प्रोविजनल रिफण्ड क्या होता है ?

उ0- यदि कोई व्यापारी केवल निर्यात का व्यापार करता है तो व्यापारी द्वारा टैक्स पीरियड का रिटर्न दाखिल करते समय रिफण्ड के प्रार्थना पत्र पर प्रोविजनल रिफण्ड प्रत्येक माह भी दिया जा सकता है। ऐसे रिफण्ड को प्रोविजनल रिफण्ड कहते हैं।

प्र0 17- क्या ऐसे प्रोविजनल रिफण्ड की धनराशि बिना ऑडिट / जांच के दे दी जाएगी ?

उ0- हां।

प्र0 18- यदि प्रोविजनल रिफण्ड अधिक हो जाए तो क्या उसे वापस करना होगा और क्या वापसी पर ब्याज भी देय होगा ?

उ0- हां, 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वापस देना होगा।

प्र0 19- ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को क्या विशेष सुविधा दी जाएगी ?

उ0- ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को ई-चेक से रिफण्ड दिये जाने की सुविधा दी जाएगी।

टैक्स पीरियड, टैक्स रिटर्न, कर निर्धारण

प्र0 1- नक्शा दाखिल करने का प्राविधान किस धारा व नियम में किया गया है ?

उ0- नक्शा दाखिल करने का प्राविधान प्रस्तावित वैट अधिनियम की धारा-24 व प्रस्तावित वैट नियमावली के नियम-44 में किया गया है ।

प्र0 2- टैक्स पीरियड क्या होता है ?

उ0- जैसे व्यापार कर या बिक्री कर व्यवस्था में बिक्री के मासिक, त्रैमासिक अवधि के नक्शे दाखिल किये जाते हैं और कर जमा किया जाता है उसी प्रकार वैट प्रणाली में भी मासिक या त्रैमासिक बिक्री के नक्शे व कर जमा करने होंगे । नक्शे दाखिल करने की अवधि को ही टैक्स पीरियड कहा जाता है ।

प्र0 3- वैट में क्या सभी व्यापारियों के लिए एक ही टैक्स पीरियड रहेगा ?

उ0- नहीं, एक करोड़ से अधिक सालाना सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों के लिए टैक्स पीरियड मासिक होगा व 25 लाख से एक करोड तक के सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों के लिए टैक्स पीरियड त्रैमासिक होगा परन्तु उन्हें कर मासिक रूप से जमा करना होगा तथा 5 लाख से 25 लाख के बीच सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों के लिए टैक्स पीरियड त्रैमासिक होगा तथा उन्हें त्रैमासिक नक्शा व कर जमा करना होगा । जो व्यापारी माह की किसी तिथि से व्यापार प्रारंभ करते हैं उनके लिए प्रथम टैक्स पीरियड उस माह का अवशेष भाग होगा और उसके पश्चात प्रत्येक कैलेण्डर माह ही उनका टैक्स पीरियड होगा ।

प्र0 4- टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सकल विक्रय धन में क्या-क्या धनराशि शामिल की जाएगी?

उ0- टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सकल विक्रय धन में निम्न धनराशियां शामिल की जाएंगी :-

- धारा-5 के अंतर्गत करयोग्य क्रय धन ।
- धारा-5 में करयोग्य वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार की बिक्री । (प्रांत के अंदर की गयी बिक्री,केंद्रीय बिक्री और निर्यात व आयात के दौरान की गयी बिक्री शामिल होगी ।)
- फ्री वितरित की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य, दान दी गयी वस्तुओं का मूल्य, चोरी हुई वस्तुओं का मूल्य, खोई/नष्ट हुई वस्तुओं का मूल्य ।
- उत्तर प्रदेश के बाहर बिक्री से भिन्न रीति से बिक्री हेतु भेजे गये माल का मूल्य ।
- कैपिटल गुड्स का खरीद मूल्य ।
    - नोट - उपरोक्त पांचों प्रकार के संव्यवहारों के मूल्य को जोड़ने पर जो धनराशि प्राप्त होगी टैक्स पीरियड निर्धारित करने हेतु उसे ही सकल विक्रय धन का आधार माना जाएगा ।

प्र0 5- यदि किसी व्यापारी का व्यापार किसी माह में बन्द हो जाता है तो उसके लिए अंतिम टैक्स पीरियड क्या होगा ?

उ0- जिस माह / त्रैमास में व्यापार बन्द होगा वही माह / त्रैमास व्यापारी का अंतिम टैक्स पीरियड होगा अर्थात माह / त्रैमास की प्रथम तारीख से प्रारम्भ होकर व्यापार बन्दी की तिथि तक अंतिम टैक्स पीरियड होगा ।

प्र0 6- टैक्स रिटर्न किस तारीख तक दाखिल करना पड़ेगा ?

उ0- प्रत्येक टैक्स पीरियड समाप्त होने के पश्चात बीस दिन के भीतर टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा । 25 लाख से अधिक व एक करोड तक सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों को प्रत्येक माह की समाप्ति के बीस दिन में कर जमा करना होगा तथा त्रैमास समाप्ति के 20 दिन के भीतर नक्शा जमा करना होगा ।

प्र0 7- क्या नक्शा दाखिल करने के पहले कर भी जमा करना पड़ेगा ?

उ0- हां, नेट टैक्स जमा करना पड़ेगा ।

प्र0 8- नेट टैक्स क्या होता है ?

उ0- नेट टैक्स को धारा-15 में प्राविधानित किया गया है । किसी टैक्स पीरियड में व्यापारी पर कर का जो दायित्व बनता है उसमें से देय इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के पश्चात जो धनराशि बचती है उसे नेट टैक्स कहते

हैं। जैसे एक व्यापारी ने एक माह में एक लाख रूपए का फुटवियर खरीदा जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 12500/- कर दिया है । इस फुटवियर की बिक्री रू0 140000/- में की गयी जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से रू0 17500/- कर बनता है । इस प्रकार नेट टैक्स रू0 17500 - रू0 12500 = रू0 5000 होगा । यही कर टैक्स रिटर्न के साथ जमा होगा ।

प्र0 9- जिन व्यापारियों का विक्रय धन रू0 25 लाख से अधिक व एक करोड़ से कम है उन्हें मासिक कर अनुमान से जमा करना होगा अथवा वास्तविक गणना करके जमा करना होगा ?

उ0- नेट टैक्स की वास्तविक गणना करके कर जमा किया जाएगा ।

प्र0 10- क्या टैक्स रिटर्न के साथ खरीद बिक्री की सूची दाखिल करना आवश्यक है ?

उ0- हां ।

प्र0 11- खरीद-बिक्री की सूची में क्या-क्या सूचनाएं दी जानी होंगी ?

उ0- खरीद की सूची में निम्न सूचनाएं दी जानी होंगी :-

1. विक्रेता व्यापारी का नाम व पता जिससे माल खरीदा गया ।
2. विक्रेता व्यापारी का टिन नंबर ।
3. टैक्स इनवाइस नंबर / दिनांक ।
4. माल का विवरण ।
5. करयोग्य मूल्य ।
6. कर की धनराशि ।
7. योग ।

बिक्री की सूची में निम्न सूचनाएं दी जानी होंगी :-

1. क्रेता व्यापारी का नाम व पता जिसे माह बेचा ।
2. क्रेता व्यापारी का टिन नंबर यदि हो तो ।
3. टैक्स इनवाइस नंबर / दिनांक ।
4. माल का विवरण ।
5. माल का करयोग्य मूल्य ।
6. कर की धनराशि ।
7. योग ।

प्र0 12- क्या अपंजीकृत को की गयी करयोग्य माल की बिक्री की सूची भी देनी होगी, यदि हां तो उसका प्रारूप क्या होगा ?

उ0- हां । प्रारूप -

1. क्रेता का नाम व पता ।
2. माल का विवरण ।
3. कर सहित कुल मूल्य ।
4. योग ।

प्र0 13- क्या व्यापारी का वार्षिक नक्शा दाखिल करना होगा, यदि हां तो कब तक ?

उ0- हां । अगले वर्ष के 31 अक्टूबर तक ।

प्र0 14- क्या उपरोक्त अवधि बढाई जा सकती है ?

उ0- हां, समुचित कारण होने पर उक्त अवधि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है ।

प्र0 15- यदि एक से अधिक व्यापार स्थल हैं तो क्या सभी स्थलों का नक्शा एक साथ दाखिल करना होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 16- यदि किसी व्यापारी का किसी टैक्स पीरियड का टैक्स रिटर्न समय से तैयार नहीं हो पाता है तो क्या उसके लिए समय बढ़ाया जा सकता है ?

उ0- हां, प्रार्थना पत्र देने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित कारण होने पर समय बढ़ाया जा सकता है ।

प्र0 17- यदि किसी टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न में यदि गलत आंकड़े दे दिये जाते हैं तो क्या उसका संशोधन हो सकता है तथा कब तक ?

उ0- हां, अगला टैक्स पीरियड जमा करने की निर्धारित अवधि तक नक्शे में संशोधन किया जा सकता है।

प्र0 18- यदि नक्शा संशोधित करने पर कर की धनराशि में परिवर्तन होता है तो उसकी जमा या वापसी किस प्रकार की जाएगी और उस पर ब्याज की क्या स्थिति होगी ?

उ0- यदि टैक्स रिटर्न संशोधित करने पर कर की धनराशि अधिक हो जाती है तो ब्याज सहित संशोधित नक्शे के साथ चालान जमा करना पड़ेगा और यदि कर की धनराशि कम होती है तो अधिक जमा धनराशि अगले टैक्स रिटर्न के साथ समायोजित कर दी जाएगी ।

प्र0 19- यदि बिक्री किया गया माल 6 माह में वापस हो जाता है तो क्या उसके लिए टैक्स रिटर्न को संशोधित करना होगा ?

उ0- हां, जिस माह में बिक्री हुई है उस माह का रिटर्न संशोधित करना होगा और संशोधित रिटर्न वापसी के अगले माह में दाखिल किया जा सकता है ।

प्र0 20- वापसी कब तक अनुमन्य है ?

उ0- बिक्री की तारीख से 6 माह तक माल की वापसी अनुमन्य है ।

प्र0 21- किसी टैक्स पीरियड का नक्शा न दिया जाए तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा ?

उ0- नक्शा न दाखिल करने पर अस्थायी करनिर्धारण की कार्यवाही धारा-25 में की जाएगी ।

प्र0 22- किसी टैक्स पीरियड का टैक्स रिटर्न तो दाखिल कर दिया परन्तु आंकड़े गलत दे दिये गये हैं और सही कर नहीं दिया गया है तो विभाग क्या करेगा ?

उ0- उस टैक्स पीरियड का अस्थायी करनिर्धारण किया जाएगा ।

प्र0 23- क्या अस्थायी करनिर्धारण से पहले व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ?

उ0- हां ।

प्र0 24- अस्थायी करनिर्धारण कब तक किया जा सकता है ?

उ0- जब तक व्यापारी वार्षिक रिटर्न फार्म 20(XX) दाखिल नहीं कर देता ।

प्र0 25- क्या सभी व्यापारियों का स्वत: करनिर्धारण हो जाएगा ?

उ0- हां, जो व्यापारी सभी टैक्स रिटर्न व वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले हैं उनका वाद स्वत: हो जाएगा।

प्र0 26- क्या कोई अलग से आदेश जारी होगा ?

उ0- नहीं । वार्षिक रिटर्न ही अंतिम आदेश माना जाएगा और जो विक्रय धन, स्वीकृत कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट घ ोषित है वही विक्रय धन निर्धारित कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट माना जाएगा ।

प्र0 27- क्या कुछ व्यापारियो के वादों में लेखे जांच पड़ताल करके करनिर्धारण आदेश पारित होगा ?

उ0- हां, लगभग 20 प्रतिशत वादों का निस्तारण लेखे देख करके किया जाएगा ।

प्र0 28- यह 20 प्रतिशत वादों का चयन कौन करेगा ?

उ0- 20 प्रतिशत वादों का चयन कमिश्नर द्वारा या कमिश्नर द्वारा अधिकृत ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा किया जाएगा।

प्र0 29- टैक्स ऑडिट क्या होता है ?

उ0- जब किसी व्यापारी का रिटर्न व वार्षिक रिटर्न दाखिल हो जाता है तो कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अधिकृत ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा लेखे जांच पड़ताल करके आदेश पारित करने के लिए वाद चयन करता है तो जांच पडताल करके आदेश पारित होने की प्रक्रिया को टैक्स ऑडिट कहते हैं ।

प्र0 30- स्वत: करनिर्धारण में जब दाखिल वार्षिक रिटर्न ही आदेश माना जाएगा और अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगा तो आदेश का दिनांक क्या माना जाएगा ?

उ0- जिस वर्ष में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए तिथि निर्धारित होती है उसके अगले करनिर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि को करनिर्धारण आदेश की तिथिा माना जाएगा ।

प्र0 31- कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अधिकृत ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा चयनित 20 प्रतिशत वादों के अलावा और किसी प्रकार के वादों में जांच पड़ताल करके आदेश पारित होगा यदि हां तो किस प्रकार के ?

उ0- हां, निम्न प्रकार के वादों का भी अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित करके किया जाएगा :-

1. जो व्यापारी वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं ।
2. जो व्यापारी एक या कई टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं देंगे ।
3. जिस वादों में अस्थायी करनिध्र्ाारण आदेश पारित किया गया हो ।
4. जिन मामलों में नक्शा गलत दिया गया, पूरा कर नहीं दिया गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया गया है ।
5. जो व्यापारी सर्वे, ऑडिट, निरीक्षण का विरोध करे या बाधा डाले ।
6. जिन मामलों में बहती पास नहीं करायी गयी हो ।

प्र0 32- यदि जांच पर सब सही पाया जाता है तो क्या तब भी कोई आदेश पारित होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 33- यदि जांच पर आंकड़े सही नहीं पाये जाते हैं तो क्या व्यापारी को कमियों के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी ?

उ0- हां ।

प्र0 34- कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देने पर क्या एकपक्षीय आदेश पारित होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 35- क्या अस्थायी करनिर्धारण आदेश की मांग अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित करने पर बनी रहेगी ?

उ0- नहीं, अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित होने पर अस्थायी करनिर्धारण की मांग उसी में समाप्त हो जाएगी ।

प्र0 36- जो व्यापारी पंजीकृत नहीं हैं और प्रान्त के बाहर से माल आयात करते हैं उनका भी करनिर्धारण होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 37- अपंजीकृत व्यापारी माल आयात करते हैं । उनके सचल दल द्वारा पकडे जाने पर 40 प्रतिशत अर्थदण्ड लगता है तो उनका भी करनिर्धारण होगा ?

उ0- यदि अर्थदण्ड लग गया है तो अंतिम करनिर्धरण नहीं पारित किया जाएगा । यह प्राविधान धारा-48(7) के प्रोविजो में किया गया है ।

प्र0 38- कितने समय मे अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है ?

उ0- 5 वर्ष ।

प्र0 39- एकपक्षीय आदेश पुन: खोल करके कब तक पुन: करनिर्धारण किया जा सकता है ?

उ0- यदि आदेश 30 सितम्बर के पहले खोला गया है तो 31 मार्च तक और उसके बाद खोला गया है तो अगले वर्ष 30 सितम्बर तक किया जा सकता है ।

प्र0 40- एकपक्षीय आदेश कितनी बार खोल करके पुन: कर निर्धारण किया जा सकता है ?

उ0- चाहे जितनी बार । एकपक्षीय आदेश किया जाए और खोला जाए परन्तु समय सीमा उक्त प्रश्न 39 की भांति ही रहेगी ।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

प्र0 1- इनपुट टैक्स क्या होता है ?

उ0- किसी व्यापार के संदर्भ में कोई व्यापारी पंजीकृत व्यापारी से खरीद पर जो कर देता है और यदि अपंजीकृत से खरीद करता है तो उस पर जो कर स्वयं जमा करता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं ।

प्र0 2- इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ?

उ0- इनपुट टैक्स का लाभ जब व्यापारी की देयता में दिया जाता है या उसे व्यापारी की तरफ से जमा कर माना जाता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं ।

प्र0 3- वैट अधिनियम में इनपुट टैक्स क्रेडिट किन परिस्थितियों में देय होगा और कितना ?

उ0- इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी वस्तु की बिक्री प्रान्त के भीतर, केन्द्रीय बिक्री, निर्यात के दौरान बिक्री करने पर 100 प्रतिशत तथा इन्साइन्मेन्ट करने पर 4 प्रतिशत से अधिक की धनराशि के बराबर देय होगा ।

प्र0 4- यदि खरीदे माल को उत्पादन, प्रोसेसिंग या पैकिंग में प्रयोग किया जाए तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ? यदि हां तो कितना ?

उ0- यदि खरीदा गया माल उत्पादन / प्रोसेसिंग / पैकिंग में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उत्पादित / प्रोसेस्ड / पैक किये माल को प्रान्तीय, केन्द्रीय, निर्यात के दौरान बिक्री पर 100 प्रतिशत तथा कन्साइन्मेन्ट की दशा में 4 प्रतिशत से अधिक की धनराशि के बराबर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होगा।

प्र0 5- रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ?

उ0- यदि किसी परिस्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं है और व्यापारी क्लेम कर लेता है । जितनी धनराशि अधिक क्लेम करेगा इसे व्यापारी से रिकवर करना होता है । अतैव यह धनराशि इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कम करना पड़ेगा इसलिए इसे रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं ।

प्र0 6- बात समझ में नहीं आयी उदाहरण से समझायें ?

उ0- जैसे कोई व्यापारी 4 ट्रक 20 लाख में पंजीकृत व्यापारी से माह जनवरी 2008 में खरीदा । इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 250000/- कर टैक्स इनवाइस के अनुसार दिया । जनवरी 08 के नक्शे में व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात 250000/- का दावा कर लिया । इसमें 03 ट्रक 18 लाख में बेच दिया जिसपर 12.5 प्रतिशत की दर से रू0 225000/- करदायित्व बनता है । चौथी ट्रक व्यापारी अपने निजी कार्यों में प्रयोग करता है जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं है । माह जनवरी 08 के रूपपत्र में व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रू0 250000/- में से रू0 225000/- जो देय कर था उसे कम करके रू0 25000/- इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फारवर्ड दिखाता है और कोई कर जमा नहीं करेगा ।

एक ट्रक जिसकी कीमत 5 लाख है । इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 62500/- रूपए इनपुट टैक्स बनता है इसका ITC व्यापारी को देय नहीं है । इस प्रकार जो एडमिसबल इनपुट टैक्स क्रेडट देय होगा वह 187500/- होता है (250000-62500) । इस प्रकार करदाता को 225000/- - 187500/- = 37500/- कर जमा करना था जबकि उसके द्वारा रू0 25000/- इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फारवर्ड किया है । यह इसलिए हो पाया क्योंकि उसके द्वारा रू0 62500/- का गलत क्लेम कर लिया गया था और यह धनराशि करदाता से रिकवर होनी थी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट में से यह कम होना है । इसलिए रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि रू0 62500/- हुई ।

प्र0 7- कैपिटल गुड्स क्या होता है ?

उ0- किसी उद्योग की स्थापना के लिए प्लान्ट, मशीनरी, इक्विपमेन्ट, अपरेटस, टूल, एप्लायंस, इनेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन, कम्पोनेन्ट, स्पेयर पार्टस, एसेसरीज, मोल्ड, डाईज, स्टोरेज टैंक, इक्विपमेन्ट, रिफ्रैक्टरी व मैटीरयल, ट्यूब, पाईप व फिटिंग की आवश्यकता होती है । इन्हें ही कैपिटल गुड्स माना गया है ।

प्र0 8- कौन-कौन सी वस्तुएं कैपिटल गुड्स में शामिल नहीं की गयी हैं ?

उ0- एयर कंडीशनर, एयर कूलर, रेफ्रिजिरेटर, फैन, एयर सरकुलेटर, ऑटो मोबाईल, दो पहिया / तीन पहिया वाहन सहित उनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ट एसेसरीज रिपेयर हेतु, ऐसा सामान जिसका प्रयोग कार्मिकों की सुविधा हेतु हो, पैसेन्जर / माल ढोने के वाहन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रयोग हेतु कैपिटल गुड्स कैपिटल पावर प्लान्ट एसेसरी, पार्ट / कम्पोनेन्ट सम्मिलित नहीं हैं ।

प्र0 9- कैपिटल गुड्स पर भी क्या ITC मिलेगा ? यदि हां, तो कितना ?

उ0- हां, 100 प्रतिशत ।

प्र0 10- कैपिटल गुड्स में ITC का दावा (claim) किस प्रकार किया जाएगा ?

उ0- किसी टैक्स पीरियड में यदि कैपिटल गुड्स की खरीद एक करोड या उससे अधिक है तो देय ITC 36 किश्तों में मिलेगा और पहली किश्त उस टैक्स पीरियड में क्लेम किया जाएगा जिसमें खरीदा गया । अन्य मामले में उसी टैक्स पीरियड में जिसमें कैपिटल गुड्स खरीदा गया है पूरा इनपुट टैक्स के बराबर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा दिया जाएगा ।

प्र0 11- क्या नौन वैट गुड्स पर भी ITC देय होगा ?

उ0- नहीं ।

प्र0 12- वैट लागू होने की तिथि को जो स्टॉक होगा उस पर ITC देय होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 13- क्या इनवेन्ट्री देना होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 14- कब तक ?

उ0- लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर ।

प्र0 15- क्या-क्या सूचना देना होगा ?

उ0- आयातित व प्रान्तीय में खरीदे गये माल की अलग-अलग सूची व इन्वेन्ट्री देना होगा ।

प्र0 16- डीम्ड परचेज प्राइस किसे कहते हैं ?

उ0- जिस तारीख को वैट अधिनियम प्रभावी होगा उस तारीख को प्रान्त के भीतर का खरीदा हुआ जो स्टाक होगा उसका मूल्य निर्धारण किया जाएगा जिस प्राइस पर ITC का निर्धारण किया जाएगा उस प्राइस को डीम्ड परचेज प्राइस कहेंगे ।

प्र0 17- डीम्ड परचेज प्राइस का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

उ0- डीम्ड परचेज प्राइस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा :-

1- यदि व्यापारी के पास पंजीकृत व्यापारी जिससे माल खरीदा गया है उसका जारी किया हुआ बिल, कैश मेमो, हो तो और उस पर कर अलग से चार्ज किया गया हो तो ऐसे बिल / कैश मेमो पर अंकित सेल प्राईस ।

2- यदि व्यापारी स्वयं खरीद पर कर दिया गया है तो प्राइस जिस पर व्यापारी ने स्वयं कर दिया है, वह खरीद प्राईस ।

3- व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत धारा-4 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तु की खरीद प्राईस ।

4- यदि 3क से बिना कर अदा किये खरीदा गया है तो वह खरीद प्राईस ।

5- व्यापार कर अधिनियम के प्राविधान के अंतर्गत करमुक्ति प्राप्त इकाई से खरीदा गया है तो वह खरीद प्राईस ।

6- यदि टैक्स पेड माल के बिल में मूल्य कर सहित अंकित है तो उसका 75 प्रतिशत धनराशि डीम्ड परचेज प्राईस होगी ।

प्र0 18- डीम्ड रेट क्या होता है ?

उ0- जिस दर पर डीम्ड परचेज प्राइस पर ITC की गणना की जाएगी उसे डीम्ड रेट कहते हैं।

प्र0 19- डीम्ड रेट का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा ?

उ0- डीम्ड रेट का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा :-

- क- यदि व्यापारी के खरीद का बिल है और उस पर कर अलग से चार्ज है तो वह दर जिस पर कर चार्ज किया गया है।
- ख- यदि व्यापारी ने स्वयं कर दिया गया है जिस दर से कर जमा किया गया है वह दर
- ग- यदि माल टैक्सपेड है और बिल / कैशमेमो पर कर अलग से चार्ज नहीं है तो उत्तर प्रदेश व्यापारकर अधिनियम के अंतर्गत धारा-3ए व 3डी में जो उस वस्तु पर जो रेट निर्धारित किया गया है वह दर
- घ- अन्य सभी मामलों में " निल " होगा।

प्र0 20- क्या ITC जो डीम्ड प्राइस पर निकलेगा पूरा मिल जाएगा या कोई शर्त रहेगी ?

उ0- व्यापारी द्वारा जो स्टॉक की घोषणा की जाएगी उसमें से उत्तर प्रदेश के भीतर, केन्द्रीय बिक्री या भारत के बाहर निर्यात के दौरान की गयी बिक्री पर शत प्रतिशत तथा कन्साइनमेन्ट करने पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक इनपुट टैक्स के बराबर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य होगा।

प्र0 21- यदि स्टॉक में माल का निस्तारण उपरोक्तानुसार नहीं होता है (अर्थात उत्तर प्रदेश के भीतर, केन्द्रीय बिक्री या भारत के बाहर निर्यात के दौरान) नहीं किया जाएगा तो क्या ITC देय होगा या नहीं ?

उ0- नहीं, यदि गलत क्लेम दिया गया है तो धनराशि रिवर्स हो जाएगी।

प्र0 22- कितने दिन पुराने स्टाक पर ITC मिलेगा ?

उ0- वैट प्रभावी होने के 6 माह पहले तक खरीदे हुए माल के स्टॉक पर ITC देय है।

प्र0 23- क्या वैट लगने के बाद यदि कोई व्यापारी करयोग्य होता है और उस समय उसके पास जो स्टाक होगा उस पर भी ITC देय होगा ?

उ0- हां।

प्र0 24- कितने पुराने स्टॉक पर ITC देय होगा ?

उ0- छः माह पुराने परन्तु वैट लागू होने के पहले के स्टॉक पर देय नहीं होगा।

प्र0 25- ITC की गणना कैसे की जाएगी ?

उ0- $$\text{इनपुट टैक्स} = \frac{\text{सेल प्राईस X rate}}{100 + \text{rate}}$$ (rate=vat rate)

प्र0 26- स्टॉक पर ITC कितना एडमिसेबल होगा ?

उ0- जब स्टॉक का माल प्रान्त के भीतर, केन्द्रीय बिक्री के दौरान या भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री की जाती है तो 100 प्रतिशत यदि कन्साइनमेन्ट बिक्री की जाती है तो 4 प्रतिशत से अधिक की धनराशि बढ़ाकर ITC देय होगा।

प्र0 27- कम्पाउण्ड स्कीम धारक के द्वारा यदि स्कीम समाप्त हो जाती है तो स्टाक पर क्या ITC देय होगा ?

उ0- हां।

प्र0 28- यदि करयोग्य माल से करमुक्त माल का निर्माण होता है या प्रोसेसिंग या पैकिंग होती है तो ITC देय होगा ?

उ0- केवल उसी स्थिति में देय होगा जबकि माल का भारत के बाहर निर्यात होगा।

प्र0 29- आढतियों द्वारा कर जमा किया जाएगा। टैक्स इनवाईस प्रिंसिपल को नहीं देगा तो ITC प्रिंसिपल किस आधार पर क्लेम करेगा ?

उ0- आढतिया द्वारा फार्म-5 में प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर प्रिंसिपल द्वारा ITC क्लेम किया जाएगा।

प्र0 30- वैट लगने पर यदि कोई व्यापारी करदेय होगा तो उसे 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देने का प्राविधान है। तीस दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होगा। इस अवधि में व्यापारी टैक्स इनवाईस नहीं जारी करेगा न ही खरीद पर टैक्स इनवाईस प्राप्त करेगा तो ITC का नुकसान होगा ?

उ0- ITC का नुकसान नहीं होगा बल्कि सेल इनवाईस के आधार पर ITC दिया जाएगा।

प्र0 31- यदि टैक्स इनवाईस खो जाए, नष्ट हो जाए या defaced हो जाए तो ITC किस प्रकार क्लेम किया जाएगा ?

उ0- कर निर्धारक अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर ITC क्लेम किया जा सकता है।

प्र0 32- वैट प्रभावी होने के दिन स्टाक पर ITC किस प्रकार क्लेम किया जाएगा ?

उ0- 6 बराबर किश्तों में क्लेम होगा।

प्र0 33- पहली किश्त कब से प्रारम्भ होगी ?

उ0- वैट प्रभावी होने की तिथि से चौथे महीने के टैक्स रिटर्न में क्लेम किया जाएगा।

प्र0 34- प्रथम किश्त का दावा कब होगा ?

उ0- रजिस्ट्रेशन जारी होने के माह के तीन माह के बाद के टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न में पहली किश्त का दावा होगा।

टी0डी0एस0

1. प्रश्न : टी0डी0एस0 का शाब्दिक अर्थ क्या है ?

उ0 : टी0डी0एस0 का अर्थ है टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (Tax Deduction at Source)

2. प्रश्न : व्यापार कर या वैट प्रणाली में इसका क्या अभिप्राय है ?

उ0 : कर वसूली आसानी से करने के उददेश्य से राज्य सरकार विशेष प्रकार के सम्व्यहारों पर या विशेष प्रकार के व्यापारियों के द्वारा की गई बिक्री की धनराशि क्रेता द्वारा भुगतान करते समय कर के बराबर धनराशि काट करके शेष भुगतान किया जाता है। कटौती से प्राप्त धनराशि बिक्रेता की तरफ से जमा किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निश्चित करने में कठिनाई होती है तो भुगतान होने वाली धनराशि का 4 प्रति0 की दर से कटौती करके जमा किया जाता है। यह धनराशि बिक्रेता व्यापारी के करदायित्व में समायोजित होता है।

3. प्रश्न : यदि करदायित्व कम होता है तो क्या टी0डी0एस0 वापस किया जाता है ?

उ0 : हॉ।

4. प्रश्न : किस प्रकार के व्यापारियों या संस्थाओं द्वारा टी0डी0एस0 काटा जायेगा ?

उ0 : जिन संस्थाओं / व्यापारियों को टी0डी0एस0 काटने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी उन्हीं के द्वारा टी0डी0एस0 काटा जाता है।

5. प्रश्न : विज्ञप्ति जारी करने पर नामित संस्थाओं द्वारा टी0डी0एस0 काटना अनिवार्य होगा ?

उ0 : हॉ।

6. प्रश्न : यदि नहीं काटते हैं तो क्या कोई अर्थदण्ड आरोपित होगा ?

उ0 : हॉ।

7. प्रश्न : कितना अर्थदण्ड लगेगा ?

उ0 : टी0डी0एस0 की धनराशि का दो गुना धनराशि के बराबर।

8. प्रश्न : यदि टी0डी0एस0 धनराशि की कटौती करके जमा नहीं करता है तो क्या अर्थदण्ड की कार्यवाही होगी ?

उ0 : हॉ।

9. प्रश्न : कितना दण्ड लगेगा ?

उ0 : टी0डी0एस0 की धनराशि का दो गुना।

10. प्रश्न :टी0डी0एस0 की धनराशि विलम्ब से जमा किया जाता है तो ब्याज भी देना होगा?

उ0 हॉ।

11. प्रश्न :ब्याज की दर क्या होगी ?

उ0 15 प्रति0 प्रतिवर्ष या 1.25 प्रति0 प्रतिमाह।

12. प्रश्न :ब्याज कब से कब तक देय होगा ?

उ0 टी0डी0एस0 जिस महीनें में काटा जायेगा उसके अगले महीनें के 20 तारीख तक जमा करना होता है। ब्याज की गणना 20 तारीख के बाद से जमा करने की तिथि तक की जायेगी।

13. प्रश्न :यदि टी0डी0एस0 की धनराशि दण्ड व ब्याज, फिर भी नहीं जमा होता है तो विभाग किस प्रकार वसूली करेगा ?

उ0 : यदि टी0डी0एस0, दण्ड, ब्याज नहीं जमा किया जाता है तो उसकी वसूली कुर्की (वसूली प्रमाण पत्र) काट करके भूराजस्व के बकाया की भॉति वसूली की जायेगी।

14. प्रश्न :उपरोक्त टी0डी0एस0, दण्ड, व ब्याज की वसूली किसकी चल / अचल सम्पत्ति से की जायेगी ?

उ0 : टी0डी0एस0 काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली जायेगी। उसके asset पर उपरोक्त धनराशि का प्रभार (चार्ज) होगा।

15. प्रश्न :टी0डी0एस0 काटने वालों के लिए क्या पंजीयन कराना भी आवश्यक होगा ?

उ0 : हॉ, व्यापार कर / वाणिज्य कर विभाग से टी0डी0एस0 नम्बर लेना होगा।

16. प्रश्न :यदि टी0डी0एस0 नम्बर न लिया जाये तो क्या अर्थदण्ड की कार्यवाही होगी ?

उ0 : हॉ।

17. प्रश्न :दण्ड कितना लगेगा और किस धारा में ?

उ0 :टी0डी0एस0 की धनराशि का दो गुना तक व वैट अधिनियम की धारा-35(4) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

18. प्रश्न :क्या दण्ड automatic या सूनवाई के बाद औचित्यपूर्ण कारण होने पर लगेगा ?

उ0 :दण्ड आटोमेटिक (automatic) नहीं है। दण्ड लगाने के पहले सुनवाई का युक्त संगत अवसर दिया जायेगा तथा अधिकतम धनराशि दण्ड की धारा-34 में टी0डी0एस0 काटने वाली धनराशि का दो गुना तक हो सकती है।

19. प्रश्न :टी0डी0एस0 नम्बर लेने के लिए क्या कोई फार्म निर्धारित है ?

उ0 : हॉ, फार्म संख्या-XXIII

20. प्रश्न :टी0डी0एस0 नम्बर लेने के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा ?

उ0 : रजिस्टिरिंग (registering authority)।

21. प्रश्न :कौन व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकता है अर्थात किसके हस्ताक्षर से टी0डी0एस0 नम्बर लेने के लिए प्रार्थना पत्र संख्या-XXIII दिया जा सकता है ?

उ0 :प्रोपराईटर, सभी पार्टनरों द्वारा अधिकृत पार्टनर, एच.यू.एफ. का कर्ता, कम्पनी के मामले में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, सोसाईटी / क्लब के मामले में अध्यक्ष / सचिव, राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष । यदि व्यापारी अव्ययस्क है तो संरक्षक (गार्जियन), यदि व्यापारी अक्षम व्यक्ति है तो पावर आफ अटार्नी, ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी या अन्य किसी मामले में सक्षम व्यक्ति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर व सत्यापन किया जायेगा।

22. प्रश्न :टी0डी0एस0 नम्बर प्रमाण पत्र किस फार्म में दिया जायेगा ?

उ0 : XXIV

23. प्रश्न :क्या टी0डी0एस0 काटने वाले व्यापारी काटी गयी धनराशि का कोई प्रमाण पत्र देंगे?

उ0 : हॉ।

24. प्रश्न :कौन सा प्रमाण पत्र ?

उ0 : फार्म-XXV

25. प्रश्न :फार्म-XXV वार्षिक होगा या मासिक ?

उ0 : मासिक

26. प्रश्न :फार्म-XXV कहा मिलेगा ?

उ0 : फार्म-XXV व्यापार कर कार्यालय से मिलेगा।

27. प्रश्न :क्या फार्म-XXV लेनें के लिए कोई Fees देनीं पड़ेगी ?

उ0 : हॉ

28. प्रश्न :कितनी फीस देनीं पड़ेगी ?

उ0 : 5 रुपये प्रति फार्म

29. प्रश्न :फार्म-XXV लेनें के बाद उसकी सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी किसकी होगी ?

उ0 : टी0डी0एस0 काटने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसने वाणिज्य कर कार्यालय से फार्म प्राप्त किया है।

30. प्रश्न :यदि फार्म-XXV खो गया तो क्या करना होगा ?

उ0 :फार्म-XXV खो जाने पर इसकी तुरन्त सूचना कर निर्धारक अधिकारी को देना होगा तथा इसकी पब्लिक नोटिस देना होगा तथा उस फार्म से कोई राजस्व की क्षति न हो ऐसे समस्त उपाय करना होगा।

31. प्रश्न :खो जाने के बाद प्राप्तकर्ता कोई सूचना दे और राजस्व की क्षति हो जाये तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

उ0 : प्राप्तकर्ता व्यापारी / संस्था / व्यक्ति राजस्व हानि के लिए जिम्मेदार होगा।

32. प्रश्न :यदि भरकर फार्म-XXV बिक्रेता को दे दिया जाये फिर उससे खो जाये या नष्ट हो जाये उसका लाभ उसे किस प्रकार मिलेगा ?

उ0 :डुबलीकेट फार्म-XXV लेना होगा जिस पर प्रमाण पत्र अंकित रहेगा कि किस फार्म का डुबलीकेट है।

33. प्रश्न :आम जनता को किस प्रकार मालूम होगा कि कोई फार्म-XXV खो गया है ?

उ0 :खोने की सूचना प्राप्त होने पर कमिश्नर गजट द्वारा सर्वसाधारण को सूचना जारी करेंगे।

34. प्रश्न :क्या कमिश्नर किसी फार्म को अवैध अप्रचलित घोषित कर सकता है ?

उ0 : हॉ

35. प्रश्न :कमिश्नर के द्वारा कोई फार्म, रंग, डिजाईन आदि को अवैध घोषित करने पर व्यापारी को क्या करना होगा ?

उ0 :अवैध घोषित सभी फार्म को जिस कार्यालय से प्राप्त किया गया है वहॉ वापस करना पड़ेगा।

36. प्रश्न :फार्म-XXV के प्रयोग करने का कोई रजिस्टर रखना पड़ेगा ?

उ0 : हॉ

37. प्रश्न :टी0डी0एस0 काटने वाले व्यापारी / संस्था को क्या कोई नक्शा दाखिल करना होगा ?

उ0 : हॉ स्टेटमेंट देना होगा।

38. प्रश्न :टी0डी0एस0 का स्टेटमेंट का क्या कोई प्रारुप या फार्म निर्धारित है ?

उ0 : हॉ फार्म-XIX

39. प्रश्न :इस फार्म-XIX में क्या क्या सूचना देनीं होगी ?

उ0 :1. टी0डी0एस0 नम्बर या टिन नम्बर, 2. टैक्सपीरियड, जिससे टी0डी0एस0 काटा गया है 3. उसका नाम / पता / 4. टिन नम्बर, 5. कान्ट्रैक्ट नम्बर, 6. बिल नम्बर व दिनॉक, 7. माल का विवरण, 8. सेल / टैक्स, 9. इनवाईस नम्बर / दिनॉक, 10. टी0डी0एस0 की धनराशि, 11. टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र-XXV की संख्या, 12. टी0डी0एस0 जमा करने का विवरण, चालान नम्बर, दिनॉक, 13. बैंक / ट्रेजरी का नाम, 14. धनराशि रुपये में, का विवरण देना होगा।

40. प्रश्न :नक्शा / स्टेटमेंट कब तक देना होगा ?

उ0 :नक्शा / स्टेटमेंट तिमॉही अर्थात जून 30, सितम्बर 30, दिसम्बर 31, मार्च 31 को समाप्त होने वाले तिमॉही के समाप्त होने के 20 दिन में कर निर्धारण अधिकारी को देना होगा।

42. प्रश्न :क्या कोई वार्षिक स्टेटमेंट भी देना होगा ?

उ0 :हॉ : वर्ष समाप्ति के अगले जून 30 तक देना होगा।

43. प्रश्न :क्या यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ?

उ0 : हॉ : प्रार्थना पत्र पर समुचित कारण होने पर 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

44. प्रश्न :क्या वार्षिक स्टेटमेंट का कोई फार्म है ?

उ0 :हॉ : फार्म-XXI

45. प्रश्न :जिन संस्थाओं के पास TIN है क्या उन्हें भी TDS नम्बर लेना होगा ?

उ0 :नहीं।

लेखा पुस्तकों व अभिलेखों का रख रखाव

1.	प्रश्न	वैट अधिनियम/वैट निमयावली के अन्तर्गत कौन कौन से दस्तावेज/लेखे व्यापारियों द्वारा रखने हेतु निर्धारित किये गये हैं ?
	उत्तर	वैट अधिनियम /वैट नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यापारियों द्वारा रखे जाने हेतु टैक्स इन्वाइस, सेल इन्वाइस, बिल, कैशमेमो, परचेज इनवाइस, चालान या ट्रान्सफर इनवाइस, ट्रान्सपोर्ट मेमो, विभागीय फार्मों का रजिस्टर व आडिट रिपोर्ट निर्धारित किये गये हैं।
2.	प्रश्न	टैक्स इनवाइस क्या है और किसके द्वारा जारी की जायेगी ?
	उत्तर	टैक्स इनवाइस 5 प्रकार के क्रेताओं को जारी की जाएगी। इस पर कर अलग से चार्ज करना अनिवार्य होगा। यह पंजीकत विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी की जाएगी।
3.	प्रश्न	ऐसे कौन पॉच प्रकार के क्रेता है जिनको बिक्री पर टैक्स इनवाइस जारी करना होगा ?
	उत्तर	पंजीकृत व्यापारी, दूतावास का कोई अधिकारी /कर्मचारी, यूनाइटेड नेशन्स या अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्था, या संस्था का कोई डिप्लोमैटिक एजेन्ट तथा स्पेशल इकोनामिक जोन का विकासकर्ता व सह-विकासकर्ता।
4.	प्रश्न	टैक्स इनवाइस कितनी प्रतियों में जारी की जायेगी ?
	उत्तर	टैक्स इनवाइस बाउंड बुक से तीन प्रतियों में जारी की जायेगी। यह प्रतियॉ मूल, डुप्लीकेट व कार्यालय प्रतियॉ होगी।
5.	प्रश्न	तीनों प्रतियों का प्रयोजन क्या होगा ?
	उत्तर	विक्रेता द्वारा मूल व डुप्लीकेट प्रति क्रेता को दे दी जायेगी और कार्यालय प्रति अपने अभिलेख में बाउन्ड बुक में सुरक्षित रखी जायेगी। यदि बेचे गये माल का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है तो डुप्लीकेट प्रति माल के साथ रहेंगी। मूल प्रति क्रेता द्वारा अपने अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी।
6.	प्रश्न	टैक्स इनवाइस को क्रमॉकित किस प्रकार किया जायेगा ?
	उत्तर	प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये टैक्स इनवाइस का बुक नम्बर व सीरियल नम्बर(क्रम संख्या) 001 से प्रारम्भ कर अरोही क्रम में होगा और यह तीन प्रतियों में रखी जायेगी। एक बुक में 50 टैक्स इनवाइस होगी।
7.	प्रश्न	क्या टैक्स इनवाइस को प्रीअथेन्टिकेशन किया जायेगा ?
	उत्तर	हॉ, प्रत्येक टैक्स इन्वाइस व्यापारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में सूचना पंजीयन अधिकारी को दी जा चुकी हो, द्वारा प्रीअथेन्टिकेटेड होगी।
8.	प्रश्न	टैक्स इनवाइस कौन जारी करेगा ?
	उत्तर	पंजीकृत व्यापारी, पंजीकृत व्यापारी को।
9.	प्रश्न	क्या टैक्स इनवाइस कम्प्यूटर द्वारा जारी की जा सकेगी ?
	उत्तर	हॉ।
10.	प्रश्न	टैक्स इन्वाइस में क्या क्या सूचना देनी होगी ?
	उत्तर	व्यापार कर की भॉति इनवाइस बनाया जायेगा जिनमें क्रेता/विक्रेता का टिन नम्बर, नाम व पता, माल का मूल्य व कर अलग अलग लिखा जायेगा।इनवाइस अथेन्टिकेट होगा। विवरण नियम-43 में दिया गया है।
11.	प्रश्न	यदि क्रेता अपने से सम्बन्धित विवरण विक्रेता को नहीं देता है तो क्या होगा ?
	उत्तर	यदि कोई क्रेता किसी पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदता है तो धारा-22 (7) के अनुसार उसे अपना नाम, पता व टिन नम्बर विक्रेता को देना अनिवार्य है। उसके ऐसा न करने पर विक्रेता ऐसे क्रेता को टैक्स इन्वाइस जारी नहीं करेगा।
12.	प्रश्न	सेल इन्वाइस कितने प्रकार के हैं ?

	उत्तर	सेल इन्वाइस दो प्रकार की होगी एक में टैक्स अलग से चार्ज किया जायेगा दूसरे में टैक्स अलग से चार्ज नहीं किया जायेगा।
13.	प्रश्न	सेल इन्वाइस में टैक्स कब अलग से चार्ज किया जायेगा ?
	उत्तर	जब कोई पंजीकृत व्यापारी, जिसका अधिनियम में करदायित्व है, नाम वैटेएबुल माल की बिक्री करे और क्रेता से कर वसूले।
14.	प्रश्न	इस सेल इन्वाइस में क्या क्या सूचनाएँ होगी ?
	उत्तर	यह सेल इन्वाइस आथेन्टिकेटेड नहीं होगी और शेष सूचनाएँ टैक्स इन्वाइस की ही भाँति होगी जिनका विवरण नियम-43 (2) में किया गया है।
15.	प्रश्न	सेल इन्वाइस में टैक्स किस दशा में अलग से नहीं चार्ज होगा ?
	उत्तर	जब कोई पंजीकृत व्यापारी वैटेबिल माल की बिक्री अपंजीकृत व्यापारी को करेगा।
16.	प्रश्न	इस सेल इन्वाइस में क्या सूचनाएँ होगी ?
	उत्तर	यह इन्वाइस अथेन्टिकेटेड नहीं होगी और इसमें क्रेता की टिन संख्या नहीं होगी शेष सूचनाएँ टैक्स इन्वाइस की भाँति होगी। विस्तृत विवरण नियम-43 (3) में दिया गया है।
17.	प्रश्न	बिल व कैशमेमो कब जारी किया जायेगा ?
	उत्तर	हर व्यापारी जिसका अधिनियम के अन्तर्गत करदायित्व है, हर ऐसे माल की बिक्री पर जिसके सम्बन्ध में टैक्स इन्वाइस या सेल इन्वाइस जारी नही की जानी है, क्रेता को निर्धारित ढंग से बिल या कैशमेमो निम्न दशा में जारी करेगा :- 1-एक बिक्री के सम्व्यवहार की राशि रु0 250/-से अधिक है, या 2-क्रेता बिल या कैशमेमो की माँग करता है, या 3-किसी अन्य कानून में बिल /कैशमेमो जारी करने का प्राविधान है, या 4-क्रेता अपने द्वारा की गयी बिक्री के सम्बन्ध में बिल/कैशमेमो ऐज ए प्रेक्टिस जारी करता है।
18.	प्रश्न	क्या बिल/कैशमेमो के सम्बन्ध में अलग-अलग बुक रखी जायेगी ?
	उत्तर	हाँ, बिल बुक व कैशमेमो बुक अलग-अलग रखी जायेगी।
19.	प्रश्न	बिल के लिये अन्य क्या प्राविधान किये गये हैं ?
	उत्तर	टैक्स इन्वाइज, सेल इन्वाइसव बिल के लिये अन्य प्राविधान लगभग समान है अर्थात ये तीन प्रतियों में बाउण्ड बुक से जारी होगें, अच्छे कागज पर होगें और सुपाठय होगें।
20.	प्रश्न	कैशमेंमो कैसे जारी किया जायेगा ?
	उत्तर	कैशमेमो बाउण्ड बुक से दो प्रतियों में जारी किया जायेगा (मूल प्रति व कार्यालय प्रति)। मूल प्रति क्रेता को दी जायेगी। कार्यालय प्रति अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी किन्तु यदि बिल/कैशमेमो की एक ही बुक रखी गयी है कैशमेमों तीन प्रतियों में (औरिजनल, डुप्लीकेट व कार्यालय प्रति) जारी होगा।
21.	प्रश्न	परचेज इन्वाइस कब जारी करनी होगी ?
	उत्तर	पंजीकृत व्यापारी अपंजीकृत से करयोग्य माल की खरीद के लिये परचेज इन्वाइस जारी करेगा।
22.	प्रश्न	परचेज इन्वाइस कितनी प्रतियों में किस प्रकार जारी की जायेगी ?
	उत्तर	क्रेता व्यापारी परचेज इन्वाइस को दो प्रतियों (मूल व कार्यालय प्रति) में जारी करेगा और विक्रेता के हस्ताक्षर व निशानी अॅगूठा भी इस पर प्राप्त करेगा। मूल प्रति क्रेता को देगा और कार्यालय प्रति सुरक्षित रखेगा। यह परचेज इन्वाइस बाउण्ड बुक से जारी होगी।
23.	प्रश्न	परचेज इन्वाइस में क्या-क्या सूचनाएँ होगी ?

	उत्तर	परचेज इन्वाइस में क्रेता का नाम व पूरा पता, उसका टिन नम्बर, परचेजइन्वाइसबुक नम्बर, परचेजइन्वाइससीरियल नम्बर, जारी करने की तिथि विक्रेता का नाम व पूरा पता, माल का विवरण, माल की मात्रा, माल की क्रय कीमत, अन्य चार्जेज यदि कोई हों, परचेज इन्वाइस की कुल कीमत, अन्य विवरण जो क्रेता देना चाहे, होगें व विक्रेता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी लिया जायेगा।
24.	प्रश्न	टैक्स इन्वाइस, सेल इन्वाइज बिल/ कैशमेमो व परचेज इन्वाइस पर क्या क्या सूचनाएँ प्रिन्टेड फार्म में होनी आवश्यक हैं ?
	उत्तर	टैक्स इन्वाइस, सेल इन्वाइस, बिल, कैशमेमो पर विक्रेता का नाम व पूरा पता, विक्रेता के ब्रॉच व डिपो का नाम व पता जिससे माल बेचा जा रहा है, विक्रेता का टिन नम्बर, टैक्स इन्वाइज/ सेल इन्वाइज, बिल/ कैशमेमो की बुक संख्या तथा उनकी क्रम संख्या प्रिन्टेड फार्म में होगी। इसी प्रकार परचेज इन्वाइस पर क्रेता का नाम व पूरा पता, ब्रॉच व डिपो का नाम व पता जहॉ माल खरीदा जा रहा हो, क्रेता का टिन नम्बर, परचेज इन्वाइस बुक नम्बर तथा परचेज इन्वाइस सीरियल नम्बर प्रिन्टेड फार्म में होना आवश्यक है।
25.	प्रश्न	यदि कोई व्यापारी करयोग्य माल का निस्तारण/बिक्री एक से अधिक प्रकार से करता है तो उसे लेखे रखने में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी ?
	उत्तर	यदि कोई व्यापारी अपने माल की प्रान्तीय बिक्री, केन्द्रीय बिक्री प्रान्त के अन्दर या बाहर स्टाक ट्रान्सफर /कन्साइनमेन्ट ट्रान्सफर, निर्यात बिक्री में से एक से अधिक प्रकार से अपने माल का निस्तारण करता है तो वह प्रत्येक प्रकार के निस्तारण के सम्बन्ध में खरीद, प्राप्ति, डिस्पैच व बिक्री का यथासम्भव अलग अलग लेखा रखेगा।
26.	प्रश्न	क्या भिन्न प्रकार के निस्तारण के सम्बन्ध में सेल इन्वाइस भी अलग-अलग रखी जायेगी?
	उत्तर	केन्द्रीय बिक्री के सम्बन्ध में सेल इन्वाइस पृथक इन्वाइस बुक से जारी किये जाने का प्राविधान नियम 43(16) में हैं।
27.	प्रश्न	इन्पुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में कौन सा रजिस्टर निर्धारित है ?
	उत्तर	वैट अधिनियम की धारा-21(11) के अनुसार यदि कोई व्यापारी इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ चाहता है तो वह एक रजिस्टर में टैक्स पीरियड वाइज इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना का विवरण रखेगा। इसका कोई प्रारुप निर्धारित नहीं है।
28.	प्रश्न	क्या कम्प्यूटर पर लेखा रखने वाले व्यापारी को हार्ड कापी भी रखना आवश्यक है?
	उत्तर	हाँ, ऐसे व्यापारी को रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों, लेखो व डाक्यूमेन्टस का प्रिन्टआउट दैनिक रुप से निकाल कर रखना है।
29.	प्रश्न	यदि टैक्स इन्वाइसमें देयकर में से अधिक करचार्ज हो गया है तो क्या प्रक्रिया होगी या कम कर चार्ज हो गया है तो क्या प्रकिया होगी और कौन से डाक्यूमेन्टस रखने होगें ?
	उत्तर	अधिक कर चार्ज होने की दशा में विक्रेता व्यापारी क्रेता को तीस दिन के भीतर एक क्रेडिट नोट व क्रेता विक्रेता को डेविट नोट जारी करेगा और कम कर चार्ज होने की दशा में विक्रेता क्रेता को डेविट नोट और क्रेता विक्रेता को क्रेडिट नोट जारी करेगा।
30.	प्रश्न	माल वापसी या रिजेक्शन की दशा में क्या अभिलेख रखने होगें ?
	उत्तर	बिके माल की वापसी या रिजेक्शन की दशा में विक्रेता क्रेता को क्रेडिट नोट व क्रेता विक्रेता को डेविट नोट जारी करेगा।
31.	प्रश्न	यदि माल एक कर निर्धारण वर्ष में बिका है और वापसी अगले कर निर्धारण वर्ष में हुई है तो क्रेडिट / डेविट नोट का समायोजन किस प्रकार होगा ?
	उत्तर	यदि वापसी या रिजेक्शन बिक्री के 6 माह की अवधि के भीतर है तो क्रेडिट/ डेविट नोट का समायोजन उस वर्ष होगा जिस वर्ष माल वापस हुआ अथवा रिजेक्ट हुआ हैं
32.	प्रश्न	ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्राविधान कहॉ है ?
	उत्तर	ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्राविधान वैट अधिनियम की धारा-21 की उपधारा-4 में किया गया है।

33.	प्रश्न	क्या प्रत्येक बिक्री के बाद परिवहन के हेतु ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रयोग होना है ?
	उत्तर	नहीं । ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रयोग शासन द्वारा विनिर्दिष्ट माल की निश्चित मूल्य /मात्रा में की गयी बिक्री के फलस्वरुप अथवा बिना बिक्री हुये अन्यथा परिवहन के लिये किया जाना है ।
34.	प्रश्न	व्यापारी को ट्रान्सपोर्ट मेमो कहॉ से प्राप्त होगा ?
	उत्तर	व्यापारी को ट्रान्सपोर्ट मेमो कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त होगा ।
35.	प्रश्न	ट्रान्सपोर्ट मेमो प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी ?
	उत्तर	ट्रान्सपोर्ट मेमो प्राप्त करने हेतु व्यापारी पॉच रुपया प्रति मेमो की दर से शुल्क जमा करके उसके प्रमाण के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा जिस पर विचारोपरान्त कर निर्धारण अधिकारी उसे ट्रान्सपोर्ट मेमो जारी करेगा । प्राप्त ट्रान्सपोर्ट मेमो का लेखा भी व्यापारी को रखना होगा और प्रार्थना पत्र देते समय पूर्व में प्राप्त ट्रान्सपोर्ट मेमो में से प्रयुक्त व अवशेष बच ट्रान्सपोर्ट मेमो का विवरण कर निर्धारण अधिकारी को देना होगा ।
36.	प्रश्न	ट्रान्सपोर्ट मेमो का क्या प्रारुप होगा ?
	उत्तर	ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रारुप फार्म-XV में दिया गया है ।
37.	प्रश्न	ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रयोग किस प्रकार करना होगा ?
	उत्तर	जब कोई पंजीकत व्यापारी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट माल विज्ञापित मात्रा/मूल्य से अधिक मात्रा /मूल्य में बिक्री के फलस्वरुप अथवा अन्यथा डिलीवर या कन्साइन करेगा तो प्रापत्र XV के सभी कालम भरते हुये उसकी मूल प्रति उस व्यक्ति को देगा जिसे माल परिवहन हेतु भेजा गया है ।
38.	प्रश्न	क्या परिवहन कर्ता के पास मूल प्रति परिवहन के दौरान होना जरुरी है ?
	उत्तर	हॉ ।
39.	प्रश्न	क्या ट्रान्सपोर्टर को भी ट्रान्सपोर्ट मेमो पर कुछ विवरण भरना है ?
	उत्तर	हॉ।परिवहन कर्ता ट्रान्सपोर्ट मेमो पर अपने से सम्बन्धित विवरण भरेगा और उसे कन्साइनी /क्रेता को डिलीवरी के समय देगा ।
40.	प्रश्न	क्या क्रेता या कन्साइनी को यह फार्म सुरक्षित रखना है ?
	उत्तर	हॉ, यह फार्म जब भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मॉगा जायेगा क्रेता/कन्साइनी को प्रस्तुत करना होगा और कर निर्धारण की कार्यवाही समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखना होगा ।
41.	प्रश्न	क्या फार्म-XV की कोई प्रति कन्साइनर/:विक्रेता द्वारा भी रखी जानी है ?
	उत्तर	हॉ । मूल प्रति फाड़कर परिवहनकर्ता को देने के बाद अवशेष भाग उसे सुरक्षित रखना है।
42.	प्रश्न	ट्रान्सपोर्ट मेमो का लेखा कैसे रखा जायेगा ?
	उत्तर	ट्रान्सपोर्ट मेमो का लेखा फार्म-XVI रखा जायेगा ।
43.	प्रश्न	कार्यालय से प्राप्त ट्रान्सपोर्ट मेमो कब तक प्रयोग किये जा सकते हैं ?
	उत्तर	जब तक किसी सीरीज, रंग या डिजाइन के ट्रान्सपोर्ट मेमो कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश द्वारा निष्प्रयोज्य न घोषित कर दिये जाये ।
44.	प्रश्न	निष्प्रयोज्य घोषित हुये फार्म का व्यापारी क्या करेगा ?
	उत्तर	ऐसे फार्म व्यापारी अविलम्ब कार्यालय वापस कर देगें ।
45.	प्रश्न	चालान /ट्रान्सफर इन्वाइस सम्बन्धी प्राविधान कहॉ है ?
	उत्तर	वैट अधिनियम की धारा-21 की उपधारा-5व नियम-41 में ।
46.	प्रश्न	चालान /ट्रान्सफर इन्वाइस कब जारी करनी होगी व किस वस्तु के लिये ?
	उत्तर	उस माल को छोडकर जिसके सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्ट मेमो जारी होने का प्राविधान है, हर व्यापारी, जिसका करदायित्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जब कोई करयोग्य माल बिक्री के उपरान्त या अन्यथा किसी अन्य व्यापारी को कन्साइन या डिलीवर करेगा तो क्रेता /कन्साइनी को सुपाठय चालान /ट्रान्सफर इन्वाइस जारी करेगा ।

47.	प्रश्न	ट्रान्सफर इन्वाइस/चालान में कौन-कौन सी सूचनाएँ होगी ?
	उत्तर	ट्रान्सफर इन्वाइज/चालान में नियम-41(1) में प्राविधानित 15 सूचनाएँ होगी । इन सूचनाओं में से व्यापारी का नाम व पता, ब्रॉच का नाम व पता, कन्साइनर का टिन नम्बर, चालान/ट्रान्सफर इन्वाइस का बुक नम्बर तथा सीरियल नम्बर छपी होनी आवश्यक है ।
48.	प्रश्न	चालान / ट्रान्सफर इन्वाइस को जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी ?
	उत्तर	चालान/ट्रान्सफर इन्वाइस मूल, द्वितीय व तृतीय अर्थात तीन प्रतियों में जारी होगी जो टैक्सइन्वाइसकी भॉति प्रीअथेन्टिकेटेड होगी और प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये बुक नम्बर/ सीरियल नम्बर 001 से प्रारम्भ होकर अरोही क्रम में चलेगा और एक बुक में 50 चालान होगें ।
49.	प्रश्न	ट्रान्सफर इन्वाइज/चालान का प्रयोग किस प्रकार होगा ?
	उत्तर	मूल एंव व्दितीय प्रति परिवहन कर्ता अथवा कन्साइनी को दी जायेगी और इसमें सूचनाएँ पूरी तरह भरी होगी । परिवहन कर्ता द्वारा जो सूचनाएँ भरी जानी है वह भी भरी जायेगी और माल गन्तव्य स्थल पर पहुँच जाने पर यह प्रतियॉ कन्साइनी को दे दी जायेगी । कन्साइनी व्दितीय प्रति कन्साइनर को वापस करेगा ।
50.	प्रश्न	क्या ट्रान्सफार इन्वाइस/चालान कम्प्यूटर से भी बनायी जा सकती है ?
	उत्तर	हॉ ।
51.	प्रश्न	कम्प्यूटर से जारी होने की दशा में क्या हार्ड कापी रखनी आवश्यक होगी ?
	उत्तर	हॉ । दैनिक रुप से जारी होने वाले ट्रान्सफर इन्वाइस/चालान की हार्ड कापी अभिलेख में रखनी आवश्यक है ।
52.	प्रश्न	क्या वैट अधिनियम/वैट नियमावली में ट्रान्सपोटर, कैरियर, फारवर्डिंग एजेण्ट के द्वारा अभिलेख रखने का प्राविधान किया गया है ?
	उत्तर	हॉ । वैट नियमावली के नियम-38 उपनियम-7 में यह प्राविधान है ।
53.	प्रश्न	ट्रान्सपोटर को क्या क्या अभिलेख रखने हैं ?
	उत्तर	नियम-38(7)के प्राविधानों के अनुसार ट्रान्सपोर्टर को निम्न अभिलेख रखने होंगें:- 1-परिवहन हेतु प्राप्त समस्त माल के विवरण का रजिस्टर । 2-परिवहन हेतु प्राप्त समस्त माल के लिये जारी कन्साइनमेन्ट नोट की प्रति । 3-ड्राइवर अथवा वाहन प्रभारी को दिये जाने वाले माल के परिवहन के चालान की कार्यालय प्रति । 4-माल की प्राप्ति व डिलीवरी का रजिस्टर ।
54.	प्रश्न	उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रान्सपोर्टर को और क्या करना है ?
	उत्तर	जब माल परिवहन के लिये बुक कर रहे तो बुक कराने वाले व्यक्ति से फार्म-XIV में एंव माल की डिलीवरी के समय डिलीवरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति से फार्म-XIII में ट्रान्सपोर्टर को घोषणा पत्र लेना होगा ।
55.	प्रश्न	ट्रान्सपोर्टर के द्वारा अभिलेखों को सुरक्षित रखने की समय सीमा क्या है ?
	उत्तर	कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 8 वर्ष तक ।
56.	प्रश्न	यदि ट्रान्सपोर्टर, ट्रान्सपोर्ट मेमो का नीचे का कालम नहीं भरता तो क्या वह दण्ड का भागी होगा । यदि हॉ तो कितना ?
	उत्तर	हॉ, रुपया दस हजार, वैट अधिनियम की धारा-54(1)(21)के अन्तर्गत ।
57.	प्रश्न	क्या एकाउन्ट आडिट कराना आवश्यक है ?
	उत्तर	हॉ ।
58.	प्रश्न	क्या एकाउन्ट आडिट न कराने पर दण्ड लगेगा ?
	उत्तर	हॉ ।
59.	प्रश्न	एकाउन्ट आडिट न कराने पर कितना दण्ड लगेगा ?
	उत्तर	रुपया दस हजार ।
60.	प्रश्न	आडिट किससे कराया जायेगा ?

	उत्तर	चार्टेड एकाउन्टेन्ट या कास्ट एकाउन्टेन्ट से।
61.	प्रश्न	क्या एकाउन्ट रखना अनिवार्य है ?
	उत्तर	हॉ।
62.	प्रश्न	क्या एकाउन्ट न रखने पर दण्ड लगेगा ?
	उत्तर	हॉ।
63.	प्रश्न	एकाउन्ट न रखने किस धारा में कितना दण्ड लगेगा ?
	उत्तर	वैट अधिनियम की धारा-54(1)(19) के अन्तर्गत रुपया 25 हजार।

पंजीयन एवं जमानत

प्रश्न-1	पंजीकरण के लिए वैट अधिनियम की किस धारा में प्राविधान है ?
उत्तर -	धारा-17 में एवं धारा-18 में
प्रश्न-2	पंजीकरण कराने के लिए न्यूनतम वार्षिक विक्रय धन क्या है ?
उत्तर-	5 लाख प्रान्त के भीतर से खरीद व प्रान्त के भीतर बिक्री के मामले में।
प्रश्न-3	अन्य व्यापारियों के मामले में कोई विक्रयधन निर्धारित है ?
उत्तर-	नही।
प्रश्न-4	पंजीयन प्राप्त करने के लिए कब और कैसे आवेदन करना होगा ?
उत्तर-	जिस तिथि से व्यापारी पर करदायित्व आ रहा है उस तिथि से 30 दिन के भीतर फार्म IVभर कर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना है।
प्रश्न-5	पंजीकरण शुल्क कितना है ?
उत्तर-	पंजीकरण शुल्क 100/- है।
प्रश्न-6	30 दिन में प्रार्थना पत्र न देने पर विलम्ब शुल्क कितना देना पडेगा ?
उत्तर-	100/- प्रतिमाह या उसके अंश।
प्रश्न-7	पंजीयन प्राप्त करने हेतु कौन से अभिलेख / प्रमाण देने होगें ?
उत्तर	(क) पूर्णरुप से भरा हुआ फार्म IV (ख) पंजीयन शुल्क जमा होने का प्रमाण (ग) यदि कोई विलम्ब शुल्क अथवा अर्थदण्ड देय है तो उसके जमा का प्रमाण (घ) मतदाता पहचान पत्र,पैन कार्ड,पासपोर्ट, बैंक पासबुक में से किन्ही दो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति (ड) पूर्णरुप से भरा हुआ फार्म VIIIदो प्रतियों में
प्रश्न-8	फार्म IV एवं फार्म VIIIपर कौन हस्ताक्षर करेगा ?
उत्तर	फार्म IV एवं फार्म VIIIपर हस्ताक्षर करने हेतु नियमावली के नियम-32 के उपनियम-6 के अनुसार निम्न ब्यक्तियों में से किसी के द्वारा 1-फर्म स्वामी द्वारा 2-फर्म साझीदार द्वारा 3-अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता द्वारा 4-लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर ,मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड आफ डायरेक्टर के द्वारा अधिकृत व्यक्ति 5-क्लब या सोसायटी की दशा में अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा 6- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग होने पर या विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा 7- अव्यस्क स्वामी के संरक्षक द्वारा 8- इन्केपेसिटेटेड व्यक्ति के व्यापारी होने की दशा में जरनल पावर आफ एटार्नी द्वारा 9- सक्षम प्राधिकारी अथवा व्यापारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति 10- ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी के द्वारा
प्रश्न-9	क्या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकृत व्यापारी को भी वैट अधिनियम में नया पंजीयन कराना होगा ?
उत्तर	नही
प्रश्न-10	क्या इनका पंजीयन स्वयमेंव हो जाएगा ?
उत्तर	नही
प्रश्न-11	तब उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में पंजीकृत व्यापारियों की वैट अधिनियम में पंजीकरण की क्या प्रक्रिया होगी ?
उत्तर	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में पंजीकृत जिन व्यापारियों पर वैट अधिनियम लागू होने की

	तिथि से करदायित्व आ रहा है उनके द्वारा पंजीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :- क- पूर्णरुप से भरा हुआ फार्म V के साथ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को संलग्न कर वैट अधिनियम लागू होने के 60 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें । ख- पूर्णरुप से भरा हुआ फार्म VIII दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । ग- फार्म V एवं फार्म VIII नियम32 के उपनियम -6 में अंकित व्यक्ति द्वारा स्थिति के अनुसार हस्ताक्षरित होगा ।
प्रश्न-12	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकृत जिन व्यापारियों पर वैट अधिनियम में कर दायित्व नहीं आ रहा है और वे वैट में पंजीकृत रहना चाहते है तो उन्हें क्या करना होगा ?
उत्तर	इस श्रेणी के व्यापारियों को वैट में स्वेच्छा से पंजीकरण जारी रखने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :- क- उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में जारी पंजीयन प्रमाणपत्र को पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म VI तथा पूर्ण रुप से भरा फार्म VIII (दो प्रतियों में) के साथ वैट अधिनियम लागू होने के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । ख- फार्म VI एवं VIII नियम 32 (6) में अंकित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगे ।
प्रश्न-13	यदि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अर्न्तगत नवीनीकरण शुल्क जमा नही किया गया हो ऐसी दशा में व्यापारी को क्या करना होगा ?
उत्तर	ऐसे व्यापारी को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में देय नवीनीकरण शुल्क तथा 100/- विलम्ब शुल्क वैट अधिनियम लागू होने के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
प्रश्न-14	जो व्यापारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकृत नही थे परन्तु वे वैट अधिनियम में स्वेच्छा से पंजीकरण कराना चाहते है उन्हे क्या करना होगा ?
उत्तर	इस श्रेणी के व्यापारियों को नए व्यापारी की तरह पंजीयन कार्यवाही करनी होगी पूर्ण प्रक्रिया प्रश्न संख्या-6 के उत्तर में लिखित है ।
प्रश्न-15	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पहले ही वैट अधिनियम लागू होने पर क्या पूर्व अधिनियम में दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्र को ही वैट अधिनियम में दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्र मान लिया जाएगा ?
उत्तर	नही ।
प्रश्न-16	तब क्या व्यापारी को पंजीयन हेतु नया आवेदन करना होगा ?
उत्तर	नही ।
प्रश्न-17	तब इस श्रेणी के व्यापारी को पंजीयन प्रदान करने की प्रक्रिया क्या रहेगी?
उत्तर	इस श्रेणी के व्यापारी का उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाएगा यदि व्यापारी पंजीकृत हो जाते है तो उन्हे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । तदोपरान्त व्यापारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को इन्डोर्समेन्ट हेतु पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगे ।
प्रश्न-18	ऐसे व्यापारियों के इन्डोर्स मेन्ट की प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर	इस श्रेणी के व्यापारियों में से वे व्यापारी जिनपर वैट अधिनियम में लागू होने की तिथि से करदायित्व आ रहा है उनके द्वारा फार्म V में प्रार्थना पत्र के साथ फार्म VIII दो प्रतियों में संलग्न करके पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
प्रश्न-19	फार्म V एवं फार्म VIII कब तक प्रस्तुत करना है और उसके साथ क्या प्रमाण एवं अभिलेख प्रस्तुत होने है :-
उत्तर	यह फार्म पंजीकरण अधिकारी के समक्ष वैट अधिनियम लागू होने की तिथि अथवा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि में से जो भी बाद में हो, के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करने होगे । परन्तु यदि कोई नवीनीकरण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क देय है तो यह दोनों शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने से 30 दिन के भीतर जमा करने होगे ।

प्रश्न-20	यदि किसी व्यापारी का उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीयन प्रार्थनापत्र लम्बित है और वैट अधिनियम लागू हो गया है जिसमें उनका करदायित्व नही बनता है तब क्या स्थिति बनेगी ?
उत्तर	ऐसे प्रकरण में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीयन पार्थना पत्र को निस्तारण किया जाएगा और यह उनकी स्वेच्छा रहेगी कि वे वैट अधिनियम में पंजीकृत होना चाहते है या नही ।
प्रश्न-21	यदि इस श्रेणी के व्यापारी वैट अधिनियम में पंजीकृत होना चाहे तो उन्हे क्या करना होगा ?
उत्तर	उन्हें पूर्ण रुप से भरकर फार्म VII एवं दो प्रतियों में फार्म VIII जोकि नियम 32 के उपनियम-6 में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा यथास्थित के अनुरुप हस्ताक्षर करके उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में देय नवीनीकरण शुल्क तथा वैट अधिनियम में यदि विलम्ब शुल्क देय हो तो विलम्ब शुल्क जमा करके व्यापार कर अधिनियम में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष इन्डोर्समेन्ट के लिए प्रस्तुत करना होगा ।
प्रश्न -22	वैट अधिनियम में पंजीयन हेतु आवेदन करने के कितने दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा ?
उत्तर	पंजीयन प्रार्थना पत्र देने के 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाएगें ।
प्रश्न-23	वैट अधिनियम में पंजीयन का नवीनीकरण भी कराना होगा ?
उत्तर	नही । जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक व्यापारी व्यापार बन्द न कर दें अथवा उनका पंजीयन विभाग द्वारा निरस्त न कर दिया जाए ।
प्रश्न-24	पंजीयन किन परिस्थितियों में निरस्त हो जाएगा ?
उत्तर	निम्न परिस्थितियों में पंजीयन निरस्त हो जाएगा :- क- यदि किसी व्यापारी की टर्न ओवर लगातार तीन साल तक 5 लाख से कम रहती है । ख- यदि व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द कर दिया जाए । ग- जालसाजी अथवा कूटरचित तथ्यों,मांगी गयी अतिरिक्त जमानत जमा न करने, विभाग से प्राप्त फार्म को अनधिकृत व्यक्ति को दे देने, अपने नाम से अन्य व्यक्ति को व्यापार करने देने, बिना वास्तविक बिक्री के टैक्स इन्वाइस जारी करने, क्रेता से वास्तविक कर से अधिक वसूल कर को जमा न करने अथवा ट्रान्सपोर्टर द्वारा रिटर्न न जमा करने,बकाया न जमा करने पर ,
प्रश्न-25	क्या पंजीयन का निरस्तीकरण स्वयमेंव विभाग द्वारा कर दिया जाएगा ?
उत्तर	नही । पंजीयन निरस्तीकरण के पूर्व व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा ।
प्रश्न-26	पंजीयन कब निलम्बित कर दिया जाएगा ?
उत्तर	जब व्यापारी के पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही हो और विभाग को यह सम्भावना दिख रही है कि व्यक्ति निरस्तीकरण कार्यवाही के दौरान ही राजस्व को क्षति पहु चा सकते है तो वह तात्कालिक प्रभाव से पंजीयन निलम्बित रखने सम्बन्धी आदेश पारित करेगे ?
प्रश्न-27	क्या पंजीयन निलम्बन की अवधि में व्यापारी पंजीकृत माने जाएगे ?
उत्तर	नही पंजीयन निलम्बन की अवधि में व्यापारी अपजीकृत माने जाएगे ।
प्रश्न-28	क्या पंजीयन निलम्बन के पूर्व भी व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ?
उत्तर	नही । परन्तु निलम्बन का आदेश सुस्पष्ट एवं सकारण होगा ।
प्रश्न-29	क्या फर्म के नाम, व्यापारिक वस्तु, फर्म की सरचना, व्यापार स्थल,व्यापार के स्वरुप,डायरेक्टर्स के परिवर्तन पर नया पजीयन लेना होगा ?
उत्तर	नही । वैट अधिनियम की धारा 75 एवं वैट नियमावली के नियम 33 के अन्तर्गत उक्त परिवर्तन की सूचना फार्म IV ए में नियम 32 के उपनियम -6 में वर्णित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए विभाग को देना पर्याप्त होगा ।
प्रश्न-30	एक से अधिक व्यापार स्थल होने पर क्या पंजीयन प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कापी मिलेगी ?
उत्तर	हां/ प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार स्थल के लिए पजीकरण अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि व्यापारी को देगा ।

प्रश्न -31	क्या अतिरिक्त प्रति के लिए शुल्क देना है ?
उत्तर	प्रत्येक व्यापार स्थल के लिए अतिरिक्त कापी प्राप्त करने हेतु कोई शुल्क नही देना है ।
प्रश्न-32	पूरा व्यापार बेचने पर क्या पंजीयन प्रमाण पत्र क्रेता को हस्तान्तरित हो जाएगा ?
उत्तर	नही / वैट नियमावली के नियम 35 के अनुसार पूरा व्यापार बेचने अथवा हस्तान्तरित करने पर उत्तराधिकारी को नया पंजीयन प्राप्त करना होगा ।
प्रश्न-33	पंजीयन पमाण पत्र खोने या नष्ट होने पर डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी ?
उत्तर	वैट नियमावली के नियम 36 के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ 100/- शुल्क जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
प्रश्न-34	क्या वैट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्टर को भी पंजीयन कराना होगा?
उत्तर	हॉ/ वैट अधिनियम की धारा -17 की उपधारा-6 के अनुसार उन सभी ट्रान्सपोर्टर को जो करयोग्य माल का परिवहन करते है उन पर व्यापार का पजीयन कराने का दायित्व है ।
प्रश्न-35	ट्रान्सपोर्टर कोई खरीद बिक्री का व्यापार नही करते है फिर इनको पंजीकृत कैसे किया जाएगा ?
उत्तर	वैट अधिनियम की धारा-2 की उपधारा (9) के क्लाज IX में ट्रान्सपोर्टर को व्यापारी माना गया है । अत: इनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है ।
प्रश्न-36	ट्रान्सपोर्टर के पंजीयन की क्या प्रक्रिया होगी ?
उत्तर	वैट अधिनियम लागू होने के उपरान्त ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय प्रारम्भ करने के 30 दिन के भीतर फार्म XI में पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन पंजीकरण शुल्क 100/- जमा होने के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
प्रश्न-37	यदि वैट अधिनियम लागू होने के पूर्व ही ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय किया जा रहा है तब पंजीयन का आवेदन कब करना होगा ?
उत्तर	वैट नियमावली के नियम 38 -उपनियम (1) के परन्तुक में की गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे ट्रान्सपोर्टर को वैट अधिनियम लागू होने की तिथि के 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन करना है ।
प्रश्न-38	यदि 30 दिन में आवेदन नही किया जाए तब क्या विलम्ब शुल्क देना है?
उत्तर	हॉ विलम्ब शुल्क देय होगा ।
प्रश्न-39	पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र (फार्म XI) पर किसके हस्ताक्षर होगे ?
उत्तर	वैट नियमावली के नियम -38 के उपनियम (3) में वर्णित व्यक्तियों मे से यथास्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा ।
प्रश्न-40	ट्रान्सपोर्टर को पजीयन प्रमाण पत्र किस प्रारुप में दिया जाएगा ?
उत्तर	ट्रान्सपोर्टर को पजीयन प्रमाण पत्र फार्म XII में दिया जाएगा ।
प्रश्न-41	ट्रान्सपोर्टर की विभिन्न शाखाओं के लिए पजीयन प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति दी जाएगी ?
उत्तर	हॉ/ ट्रान्सपोर्ट की प्रत्येक ब्रान्च के लिए मांग करने पर अतिरिक्त प्रति निशुल्क दी जाएगी ।
प्रश्न-42	पंजीयन प्रमाण पत्र खो जाने पर नष्ट हो जाने पर ट्रान्सपोर्टर को क्या करना होगा ?
उत्तर	पजीकरण अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ रुपया 100/- शुल्क जमा करने पर डुप्लीकेट पजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
प्रश्न-43	माल की बुकिंग एवं डिलीवरी के समय ट्रान्सपोर्टर को क्या करना होगा ?
उत्तर	माल की डिलीवरी देते समय माल के प्राप्त कर्ता से फार्म XIII में तथा बुक करते समय बुक कराने वाले से फार्म XIV घोषणा पत्र लेगा ।
प्रश्न-44	क्या ट्रान्सपोर्टर को रिटर्न भी देना होगा ?
उत्तर	हॉ-वैट नियमावली के नियम 44 के उपनियम (10) के अन्तर्गत रिटर्न देना आवश्यक है ।
प्रश्न-45	वैट अधिनियम के अन्तर्गत जमानत की मांग कब की जा सकती है ?
उत्तर	वैट अधिनियम की धारा -19 के अनुसार निम्नलिखित प्रयोजनो हेतु जमानत / अतिरिक्त जमानत मांगी

	जा सकती है :- 1-पंजीयन देने या जारी रखने हेतु 2-फार्मो की उचित कस्टडी/प्रयोग हेत 3- कर अर्थदण्ड या अन्य देयों की वसूली के लिए
प्रश्न-46	इस प्रकार की जमानत की अधिकतम सीमा क्या होगी ?
उत्तर	जमानत की अधिकतम सीमा एक वर्ष में देयकर के बराबर अथवा जिस प्रयोजन हेतु मांगी जा रही है उसकी स्थिति के अनुसार ।
प्रश्न-47	क्या जमानत प्रत्येक व्यापारी से मांगी जाएगी ?
उत्तर	नही / जमानत केवल उन्ही मामलों में मांगी जाएगी जिन मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए जमानत मांगा जाना आवश्यक हो और जमानत का कारण लिखित रुप से देना होगा ।
प्रश्न-48	क्या विभाग द्वारा जमानत मांगा जाना स्वविवेक से होगा?
उत्तर	जमानत मांगे जाने का निर्णय स्वविवेक से होगा परन्तु जमानत मांगे जाने के पूर्व व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।
प्रश्न-49	क्या जमानत मांगे जाने के आदेश के विरुद्व अपील की जा सकती है ?
उत्तर	हॉ / जमानत मांगे जाने के आदेश के विरुद्व अपील की जा सकती है ।
प्रश्न-50	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में यदि किसी व्यापारी ने जमानत दे रखी है तो क्या वह वैट अधिनियम में वैध व प्रवृत्त मानी जाएगी ?
उत्तर	हॉ / वैट अधिनियम की धारा -19 के अनुसार यदि ऐसी जमानत को जारी रखने की सूचना व्यापारी द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी को धारा 81 (5) में निर्धारित प्रारुप में जमानतियों की अंडरटेकिग के साथ दी जाती है तो पूर्व में दी गयी जमानत वैध मानी जाएगी ।
प्रश्न -51	क्या किसी जमानती की मृत्यु होने पर नई जमानत देनी होगी ?
उत्तर	हॉ, जमानती की मृत्यु होने या उसके दिवालिया होने के 30 दिन के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को सूचना व घटना की तिथि से 60 दिन के भीतर नई जमानत देनी होगी ।
प्रश्न-52	जमानत किन स्वरुपों में दी जा सकती है ?
उत्तर	वैट नियमावली के नियम -37 के अनुसार जमानत निम्न प्रकार से दी जा सकती है :- क- निजी सम्पत्ति पर विभाग की बकाया का प्रथम चार्ज बनाकर । ख-तीन वर्ष पुराने तीन पजीकृत व्यापारियों जो डिफाल्टर न हो का सिक्योरिटी बान्ड । ग- जिलाधिकारी से सत्यापित दो व्यक्तियों का सिक्योरिटी बान्ड । घ- व्यापारी अपनी इच्छानुसार नगद,वैक गारन्टी, एफ0डी0आर0 एन0एस0सी0 के रुप में भी जमानत दे सकता है ।
प्रश्न-54	दी गई जमानत सत्यापन पर यदि गलत पायी जाती है तो क्या व्यवस्था होगी ?
उत्तर	ऐसा होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नगद, बैक गारन्टी, एफ0डी0आर0 एन0एस0सी0 आदि के रुप में जमानत मॉगी जा सकती है।
प्रश्न-54	क्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जमानत जब्त की जा सकती है ?
उत्तर	हॉ/ व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करके कारण सहित लिखित आदेश करते हुए कर निर्धारण अधिकारी देयकर अर्थदण्ड या अन्य देयो की वसूली के लिए या विभागीय फार्मो का दुरुपयोग होने पर जमानत जब्त कर सकते है ।
प्रश्न-55	दी गयी जमानत जब्त होने का परिणाम क्या होगा ?
उत्तर	जमानत से देयो की वसूली होने की दशा में अवशेष जमानत बची रहेगी, और यदि कम पड गयी है तो कमी पूरी करने के लिए व्यापारी को अतिरिक्त जमानत देनी होगी ।
प्रश्न-56	यदि कोई व्यापारी मांगी गयी जमानत नही देता है या जब्त होने की दशा में जमानत कम पड जानी है और वह अतिरिक्त जमानत नही देता है तो परिणाम क्या होगा ?
उत्तर	ऐसी स्थिति में यदि पजीयन जारी नही हुआ है तो पजीयन जारी करने से मना किया जा सकता है और

	यदि जारी हो गया है तो पंजीयन को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त की जा सकती है तथा विभागीय फार्म भी देने से मना किया जा सकता है।
प्रश्न-57	जमानत कब वापस होगी ?
उत्तर	जिस प्रयोजन के लिए जमानत ली गई है उसके समाप्त होने या विदयमान न रहने पर व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर जमानत की राशि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी और यदि जमानती बॉन्ड दिया गया है तो जमानतियों को अवमुक्त कर दिया जाएगा।